

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत पावटा

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. सुगनबाई धर्मपत्नि कमलसिंह जाटव निवासी पावटा गद्दी
2. सन्तो धर्मपत्नि गंगाराम जाटव निवासी पावटा गद्दी —प्रार्थीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र परमा जाटव निवासी पावटा गद्दी
2. श्यामलाल पुत्र परमा जाटव निवासी पावटा गद्दी
3. गुलकन्दी पुत्री परमा जाटव निवासी पावटा गद्दी
4. सरवती पुत्री परमा जाटव निवासी पावटा गद्दी
5. सम्पति पुत्री परमा जाटव निवासी पावटा गद्दी
6. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा वजीरपुर
7. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, वजीरपुर —अप्रार्थीगण

मुकदमा नं. — 08/2018

निर्णय की दिनांक —17.05.2018

वादीगण की ओर से स्वयं वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादी रामप्रसाद, की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.05.2018 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

वाद वादीगण जरिये राजीनामा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 के नाम दर्ज भूमि खसरा नंबर 1086 रकबा 1.12 हेक्टर वाके ग्राम पावटा गद्दी में से सुगनबाई पत्नी कमलसिंह, जाति जाटव को 0.25 हेक्टर, सन्तो पत्नी गंगाराम जाति जाटव को 0.25 हेक्टर निवासी पावटा गद्दी को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष भूमि 0.62 हेक्टर प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 5 के नाम यथावत रहेगी। रहन संबंधी इन्द्राज यथावत रहेगा।

राजीनामा निर्णय का जुज पोरशन रहेगा।



मुनिदेव यादव
सहायक कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	